उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग–1
संख्या : 9/2023/987/94-1-2023-312(38)/2022
लखनऊ, दिनांक : 15 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 5 एवं 7 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस निमित्त जारी पूर्वतर अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से-

(1) नीचे अनुसूची में दिये गये राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए जिला चित्रकूट में एक नया निबन्धन उप जिला ''राजापुर'' सृजित करती हैं, तथा

(2) नीचे अनुसूची में दिये गये राजस्व ग्रामों के क्षेत्रों को अपवर्जित करते हुए जिला चित्रकूट के निबन्धन उप जिला 'कर्वी एवं मऊ' की सीमायें परिवर्तित करती हैं ।

अनुसूची

जिला चित्रकूट के निबन्धन उप जिला 'कर्वी एवं मऊ' से अपवर्जित किये गये एवं नवसृजित निबन्धन उप जिला ''राजापुर'' में सम्मिलित किये गये ग्रामों की सूची-

1	अतरसुई	2	अमान	3	अमवॉ (मऊ)
4	उमरी बीहट	5	करौंदी कलां	6	कुईं
7	खटवारा	8	खोहर	9	गोबरौल
10	चौरहा	11	तमउरा	12	तीरमऊ मु0
13	तीरमऊ ए0	14	नादिन कुर्मियान	15	पराको
16	पियरिया खुर्द	17	पियरिया माफी	18	पैकौरा
19	बदका	20	बरूआ मु0	21	बरूआ ए0
22	बेनौरा	23	बल्हउरा	24	भदेवरा
25	भंभेट मु0	26	भंभेट ए0	27	मझगवां मु0
28	मझगवां ए0	29	मनौधा माफी	30	मलवारा
31	रगौली मु0	32	रगौली ए0	33	रूपैली मु0
34	रूपैली ए0	35	रीठी मु0	36	रीठी ए0
37	सिकरी	38	सिरावलमाफी मु0	39	सिरावलमाफी ए0
40	छीबों	41	सरधुआ	42	बरद्वारा
43	बीरधुमाई सुर्की	44	लमियारी	45	गडौली
46	मिर्जापुर	47	रैपुरवा	48	बिलास बांगर
49	बिलास खादर	50	चिल्लीमल बॉगर	51	चिल्लीमल खादर
52	महुवागॉव	53	कुसेली	54	औदहा
55	गौहानी खुर्द	56	पनौटी	57	चॉदी बॉगर
58	चॉदी खादर	59	तीरधुमाईगंगू बांगर	60	तीरधुमाईगंगू खादर
61	धौरहा बॉगर	62	धौरहा खादर	63	नैनी बॉगर
64	नैनी खादर	65	बिहरवा बॉगर	66	बिहरवॉ खादर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

67	गुरगौला बॉगर	68	गुरगौला खादर	69	अमवॉ (कर्वी)
70	खोपा बॉगर	71	खोपा खादर	72	सुरवल बॉगर
73	सुरवल खादर	74	भदेदू बॉगर	75	भदेदू खादर
76	बेराउर बॉगर	77	बेराउर खादर	78	चिल्लीराकस बॉगर
79	चिल्लीराकस खादर	80	सुरसेन	81	अर्की
82	अतरौली माफी	83	बरिया	84	कनकोटा बॉगर
85	कनकोटा खादर	86	रायपुर बॉगर	87	रायपुर खादर
88	उदघटा	89	हस्ता बॉगर	90	हस्ता खादर
91	बक्टाखुर्द बॉगर	92	बक्टाखुर्द खादर	93	देवारी बॉगर
94	देवारी खादर	95	बिझौरा	96	सिकरीसालिस
97	लोहदा	98	सगवारा	99	सालिकपुर
100	नोनार	101	भटरी	102	कलवलिया
103	डुडौली	104	पटवरिया सानी	105	तेराखुर्द
106	ढोलगवॉ	107	मोहरवॉ	108	सुरकिहा
109	खरूही	110	प्रसिद्धपुर	111	रम्पुरिया सानी
112	जमहिल	113	अर्जुनपुर	114	तेराबुजुर्ग
115	पटनाखालसा	116	लदेहटा	117	बछरन
118	लठागुठऊपुर	119	हरदौली	120	गनीवाप्रसिद्धपुर
121	मतीपुर	122	नेहदुवा	123	लोधौरा बुजुर्ग
124	चनहट	125	रम्पुरियाअव्वल	126	गौहानीकला
127	नकेहली	128	डढिया	129	कंधवनिया
130	अहिरा	131	देहुरूछ माफी	132	बॉधा
133	मगरहाई	134	औरा	135	पिलिखिनी
136	बसहर	137	दरसेंडा	138	ममसी बुजुर्ग
139	बसन्तपुर	140	सिधौली	141	व्योहरा
142	भानपुर	143	अरछाबरेठी	144	चौरा
145	नहरा	146	रामपुर	147	अगरहुडा
148	खेरिया	149	कलवारा खुर्द	150	कलवारा बुजुर्ग
151	सढ	152	देवल	153	काटी
154	हर्रा	155	पथरामानी	156	पिपरोदर
157	कुचारम	158	सिकरीसानी	159	उन्नायबन्ना
160	भटबन्ना	161	ब्यासबन्ना	162	बघवारा
163	गडवारा	164	महुरूछ	165	भुजौलीमाफी

राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी न्यायालय में जिसने अब तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा ।

आज्ञा से,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-9/2023/987/94-1-2023-312(38)/2022 दिनांक : 15 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

संख्या-9/2023/987/94-1-2023-312(38)/2022 दिनांक : 15 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उ०प्र० कानपुर।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् उ०प्र० लखनऊ।
6. सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
7. महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० लखनऊ।
8. जिलाधिकारी, चित्रकूट।
9. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), पदेन जिला निबन्धक, चित्रकूट।
10. उप महानिरीक्षक निबन्धन, चित्रकूट धाम मण्डल।
11. सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, चित्रकूट।
12. विधायी अनुभाग-1/भाषा अनुभाग-5 ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Stamp evam Registration Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 9/2023/987/94-1-2023-312(38)/2022 dated 15 December, 2023:

Notification

No. 9/2023/987/94-1-2023-312(38)/2022
Lucknow; Dated : 15 December, 2023

In exercise of the powers under sections 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in partial modification of earlier notifications issued in this behalf, the Governor, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, is pleased to,—

(1) create a new registration sub-district "Rajapur" in district Chitrakoot by including revenue villages given in the Schedule below; and

(2) alter the limits of registration sub-district 'Karvi and Mau' of district Chitrakoot by excluding the areas of revenue villages given in the Schedule below.

Schedule

List of villages excluded from the registration sub-districts 'Karvi and Mau' of district Chitrakoot and included in the newly created registration sub-district "Rajapur"

1	ATARSUI	2	AMAN	3	AMVA (MAU)
4	UMRIBIHAT	5	KARAUNDIKALAN	6	KUEN
7	KHATVARA	8	KHOHAR	9	GOBRAUL
10	CHAURAHA	11	TAMAURA	12	TIRMAU MU
13	TIRMAU A	14	NADINKURMIYAN	15	PARAKO
16	PIARIYAKHURD	17	PIARIYAMAFI	18	PAIKAURA
19	BADKA	20	BARUA MU	21	BARUA A
22	BENAURA	23	BALHAURA	24	BHADEVRA
25	BHABHET MU	26	BHABHET A	27	MAJHGANVA MU
28	MAJHGANVA A	29	MANAUDHAMAFI	30	MALVARA
31	RAGAULI MU	32	RAGAULI A	33	RUPAILI MU
34	RUPAILI A	35	RITHI MU	36	RITHHIA
37	SIKRI	38	SIRAVALMAFI MU	39	SIRAVALMAFI A
40	CHHIVON	41	SARDHUA	42	BARDVARA
43	BIRDHUMAI SURKI	44	LAMIYARI	45	GADULI
46	MIRJAPUR	47	RAIPURVA	48	VILAS BANGAR
49	VILAS KHADAR	50	CHILLIMAL BANGAR	51	CHILLIMAL KHADAR
52	MAHUVAGANVA	53	KUSELI	54	AUDAHA
55	GAUHANIKHURD	56	PANAUTI	57	CHANDI BANGAR
58	CHANDI KHADAR	59	TIRDHUMAIGANGU BANGAR	60	TIRDHUMAIGANGU KHADAR
61	DHARAHARA BANGAR	62	DHARAHARA KHADAR	63	NAINI BANGAR
64	NAINI KHADAR	65	BIHRAN BANGAR	66	BIHARVAN KHADAR

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

67	GURGAULA BANGAR	68	GURGAULA KHADAR	69	AMVA (KARVI)
70	KHOPA BANGAR	71	KHOPA KHADAR	72	SURVAL BANGAR
73	SURVAL KHADAR	74	BHADEDU BANGAR	75	BHADEDU KHADAR
76	BERAUR BANGAR	77	BERAUR KHADAR	78	CHILLIRAKAS BANGAR
79	CHILLIRAKAS KHADAR	80	SURSEN	81	ARKI
82	ATRAULIMAFI	83	BARIYA	84	KANKOTA BANGAR
85	KANKOTA KHADAR	86	RAYPUR BANGAR	87	RAYPUR KHADAR
88	UDGHATA	89	HASTA BANGAR	90	HASTA KHADAR
91	BAKTAKHURD BANGAR	92	BAKTAKHURD KHADAR	93	DEVARI BANGAR
94	DEVARI KHADAR	95	VIJHAURA	96	SIKRISALIS
97	LOHDA	98	SAGVARA	99	SALIKPUR
100	NONAR	101	BHATARI	102	KALVALIYA
103	DUDAULI	104	PATVARIYA SANI	105	TERAKHURD
106	DHOLGAVNA	107	MOHARANVA	108	SURKIHA
109	KHARUHI	110	PRASIDHHPUR	111	RAMPURIASANI
112	JAMHIL	113	ARJUNPUR	114	TERABUJURG
115	PATNAKHALSA	116	LADEHTA	117	BACHHRAN
118	LATHAGUTHUPUR	119	HARDAULI	120	GANIVAPRASIDHPUR
121	MATIPUR	122	NEHADUA	123	LODHAURA BUJURG
124	CHANHAT	125	RAMPURIYAAVVAL	126	GAUHANIKALA
127	NAKEHALI	128	DADHIYA	129	KADHVANIYA
130	AHIRA	131	DEHRUCHHA MAFI	132	BANDHA
133	MAGARHAI	134	ORA	135	PILIKHINI
136	BASHAR	137	DARSEDA	138	MAMSI BUJURG
139	BASANTPUR	140	SIDHAULI	141	VYAUHARA
142	BHANPUR	143	ARCHHABARETHI	144	CAHURA
145	NAHARA	146	RAMPUR	147	AGARHUNDA
148	KHERIYA	149	KALVARAKHURD	150	KALVARA BUJURG
151	SADH	152	DEVAL	153	KATI
154	HARRA	155	PATHARAMAFI	156	PIPRODAR
157	KUCHARAM	158	SIKRISANI	159	UNNAYBANNA
160	BHATBANNA	161	BYASBANNA	162	BAGHVARA
163	GADVARA	164	MAHURUCHH	165	BHUJAULI MAFI

The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding already commenced or pending in any Court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the said areas.

By order,

Leena Johri
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।